अति महत्वपूर्ण

संख्या- 678 -प्रो0/51-2010-20(47)/2009

प्रेषक,

श्री नवनीत सहगल,
सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2010

विषय : मा0 नेता विरोधी दल, विधानसभा, उ0प्र0 के प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्य प्रदर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या- 1221सं0/सत्रह-1-89-94सं0/81, दिनांक 25-03-1989 द्वारा उ0प्र0 विधान सभा के नेता विरोधी दल को कैबिनेट मंत्री का स्तर प्रदान किया गया है तथा प्रोटोकाल विभाग के शासनादेश संख्या- 2325-प्रो0/51-98-20(53)/79, दिनांक 18-07-1998 द्वारा जनपदों में भ्रमण के दौरान मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा के प्रति वही शिष्टाचार एवं सौजन्य प्रदर्शित किए जाने के आदेश हैं, जो प्रदेश के मा0 मंत्रीगण के प्रति बरता जाता है।

2- मा0 नेता विरोधी दल, विधानसभा के प्रदेश के जनपदों में भ्रमण पर उन्हें शासनादेशों के अनुरूप शिष्टाचार एवं सौजन्य का प्रदर्शन न किए जाने की स्थिति शासन के संज्ञान में लायी गयी है।

-संख्या-299/56-3ख(1/24)/77, दि0 06-03-1979
-संख्या- 2325-प्रो0/51-98-20(53)/79, दि0 18-07-1998
-संख्या-3321-प्रो0/51-2007-20(35)/2007, दि0 03-07-2007
-संख्या-918-प्रो0/51-2008-20(35)/2007, दि0 24-04-2009

अतः मा0 नेता विरोधी दल/प्रदेश के मा0 मंत्रीगण के प्रति बरते जाने वाले शिष्टाचार संबंधी पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपसे अनुरोध है कि मा0 नेता विरोधी दल के प्रति शिष्टाचार बरते जाने संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
सचिव
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल।

-2-

संख्या- 678 -प्रो0/51-2010-20(47)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
2- निजी सचिव, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा को मा0 नेता विरोधी दल के अवलोकनार्थ।
3- सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-1
4- संसदीय कार्य अनुभाग-1

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
अनु सचिव।